

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो अशोक शंकर शर्मा 2. वर्तमान धारित पद वर सचिव  
 3. वर्तमान वेतन 70000 अगली वेतनवृद्धि की तारीख ...

उस जिले, उपसंभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे			यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	इसे किस प्रकार अर्जित किया गया: ***खरीद, दान, किराया, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन का तारीख और जिससे अर्जित किया गया है उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि	**वर्तमान मूल्य				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
उ.प्र. प्रदेश मिर्जापुर जिला		खेत 2012	रकबा 243	पुआ 1915 कुआ 1915 4000	खरीद सहीद बाजार मूल्य मिर्जापुर मिर्जापुर	-	-

\* जहां लागू न हो कार्ट वीजिए।  
 \*\* ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के लक्ष्य में लगभग मूल्य बतलाया जाए।  
 \*\*\* इसमें अल्पकालीन परदे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने को अवधि के परवाना सह घोषणा-पत्र भर का जस्तुत करे जो उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर परदे का बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे हैं।

हस्ताक्षर RS  
 नाम अशोक शंकर शर्मा  
 पद वर सचिव